न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
148/2024	19.12.2024	14.05.2025

अनवान

1. राजेन्द्र कुमार पिता लक्ष्मीनारायण बारेगामा आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. किशनलाल पिता लक्ष्मीनारायण बारेगामा आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. अनिता देवी पत्नी श्यामसुन्दर बारेगामा आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. स्यानुडी पुत्री लक्ष्मीनारायण बारेगामा आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रमोद मोदी पिता रामचन्द्र मोदी आयु वयस्क निवासी रेलवे स्टेशन कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. नन्दकिशोर पुत्र रामेश्वर बारेगामा आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. विष्णु दयाल पिता मुलचन्द बारेगामा आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. कन्हैयालाल पिता मोतीलाल बारेगामा आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. देवकीनन्दन पिता पुरूषोत्तम दयाल बारेगामा आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ। (विलोपित)

अप्रार्थीगण

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री हिम्मत सिंह जादव — प्रार्थीगण

एकतरफा — अप्रार्थी सं0 2, 3, 4

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कपासन जिला-चित्तौडगढ़

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कपासन पटवार हल्का कपासनए तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 655 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 2837, 2840, 2841, 3060, 3061, 7678/2838, 7680/3062, 7682/3063 कृषि भूमि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा–चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के संयुक्त खातेदार काश्तकार है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौडगढ

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को रिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4 के विरूद्ध पूर्व में दिनांक 01.04.2025 को बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा पत्थरगढी किये जाने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की जाकर आदेशिका पर हस्ताक्षर किये गये। अप्रार्थी संख्या 5 के विरूद्ध वकील प्रार्थीगण द्वारा कार्यवाही नहीं चाहने से कार्यवाही ड्रॉप की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तादुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के संयुक्त खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर–बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के संयुक्त खातेदार काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी की आराजीयात मौजा कपासन पटवार हल्का कपासनए तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 655 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 2837, 2840, 2841, 3060, 3061, 7678/2838, 7680/3062, 7682/3063 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो, किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावे। पत्थरगढी हेतु भू0अभि0निरी0 कपासन को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका एवं मौका नक्शा इस न्यायालय में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। पालनार्थ तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 14.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन
जिला–चित्तौड़गढ़

(संजय सुवालका)
(उपखण्ड अधिकारी
कपासन